

हरियाणा विधान सभा

सत्र-14

बुलेटिन संख्या-3

मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2023

(हरियाणा विधान सभा की मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 6.40 बजे तक हुई बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण)

1. प्रश्न

(क) तारांकित:

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	14	01	—	17

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकित: 17

2. पीएम श्री राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चौटाला, जिला सिरसा के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना ।

प्रश्न काल के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने अपनी तथा सदन की ओर से पीएम श्री राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चौटाला, जिला सिरसा के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

3. जन संवाद कार्यक्रम के दौरान विधायकों को उसमें बुलाने बारे मामला उठाना ।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि उनके हल्के में जन संवाद कार्यक्रम हो गया लेकिन उन्हें इसके लिए कोई भी सूचना नहीं दी गयी । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सदन को आश्वस्त कर दिया है कि भविष्य में सभी विधायकों को इसकी सूचना दी जाएगी ।

4. हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन करना ।

अध्यक्ष महोदय ने अपनी तथा सदन की ओर से कैप्टन अजय सिंह यादव, भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

5. सदस्य की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री प्रमोद कुमार विज, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे आज दिनांक 19.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

6. ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव/गैर सरकारी प्रस्तावों/अल्पावधि चर्चा के प्रस्तावों/सरकारी प्रस्ताव/ नियम 84 के अधीन प्रस्ताव तथा विधेयकों के बारे में सूचना ।

जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य डा. रघुवीर सिंह कादियान और श्रीमती किरण चौधरी तथा उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने उनके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव/गैर सरकारी प्रस्तावों/अल्पावधि चर्चा के प्रस्ताव की सूचना का परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि वैसे तो इस बारे में उन्होंने दिनांक 15.12.2023 को ही सूचना दे दी थी फिर भी उन्होंने सदन की जानकारी के लिए बताया कि अब तक विधान सभा सचिवालय को जितने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव/गैर सरकारी प्रस्ताव/सरकारी प्रस्ताव/अल्पावधि चर्चा के प्रस्ताव, नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा के नोटिस मिले हैं उनमें से कुछ को स्वीकृत कर लिया गया है, कुछ अस्वीकृत कर दिए गए हैं या कुछ अभी सरकार के विचाराधीन हैं । जो एक स्थगन प्रस्ताव आया था उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 55 में परिवर्तित करके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 15 के साथ क्लब करके उस पर दिनांक 18.12.2023 को चर्चा करवाई जा चुकी है ।

डा. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक ने किसानों की दयनीय हालत के बारे दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के परिणाम के बारे में जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय ने हरियाणा विधान सभा सचिवालय में अब तक प्राप्त हुए विभिन्न विधेयकों के बारे में भी जानकारी दी ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह भी बताया कि जो एक सरकारी प्रस्ताव हरियाणा राज्य के गीत के चयन के लिए सरकार की तरफ से आया था उस पर आज फैसला होना है ।

7. सदस्यों द्वारा विभिन्न मामलों को उठाना ।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री ईश्वर सिंह ने उनके द्वारा दिए गए अनुसूचित जाति के लिए चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग से 18 सीटें आरक्षित करवाने बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उनको सूचित किया कि उनका यह प्रस्ताव अभी सरकार के पास विचाराधीन है । श्री ईश्वर सिंह अध्यक्ष महोदय की इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। उन्होंने इस बारे में काफी देर तक अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क किया । मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस विषय में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आरक्षित सीटें 18 नहीं बल्कि 22 बनती हैं। उन्होंने यह

भी बताया कि परिसीमन आयोग के गठन के पश्चात् ही इस बारे में चुनाव आयोग या परिसीमन आयोग को कोई रैजोल्यूशन भेजा जा सकता है ।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री रामकुमार गौतम ने आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि कोई सामान्य जाति का लड़का अनसूचित जाति की लड़की से विवाह करता है तो वह विवाह के पश्चात् आरक्षण का लाभ उठाते हुए सरपंच या विधायक भी बन सकता है । इस तरह से अनुसूचित जाति को आरक्षण का नुकसान होता है इसलिए उन्होंने सरकार से इस ओर भी ध्यान देने के लिए कहा ।

8. डा. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक द्वारा उनके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में पुनः मामला उठाना ।

जब डा. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक ने उनके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में पुनः मामला उठाते हुए उनका परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि उनके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए हैं। डा. रघुवीर सिंह कादियान अध्यक्ष महोदय की बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि ये दोनों प्रस्ताव किसानों से जुड़े हुए हैं तथा किसान अपनी समस्याओं के निवारण के लिए धरनों पर बैठे हैं । डा. रघुवीर सिंह कादियान इस बारे में अध्यक्ष महोदय से काफी देर तक तर्क वितर्क करते रहे । सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने डा. रघुवीर सिंह कादियान के व्यवहार पर आपत्ति व्यक्त की । इस पर डा. रघुवीर सिंह कादियान नाराज हो गए और उन्होंने अध्यक्ष महोदय से सदन में व्यवस्था बनाने की मांग की, सदन में व्यवस्था न बनती देख उन्होंने सदन को बूचड़खाना तक कह—दिया । उनके इस शब्द पर सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय से कड़ी नाराजगी जताई और उनसे इस शब्द के लिए माफी मांगने को कहा । जब डा. रघुवीर सिंह कादियान ने इस शब्द पर माफी नहीं मांगी तो काफी देर तक इस शब्द को लेकर सदन में गहमा गहमी होती रही । इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने डा. रघुवीर सिंह कादियान को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वे इस शब्द के लिए सदन में खड़े होकर माफी मांगें अन्यथा वे उनको सदन की शेष अवधि के लिए सदन से निलम्बित कर देंगे ।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि अगर उनको डा. रघुवीर सिंह कादियान के कहे हुए किसी शब्द से आपत्ति है तो वह उसको सदन की कार्यवाही से निकाल सकते हैं । अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि कोई भी सदस्य इस तरह से सदन को बूचड़खाना नहीं कह सकता । अध्यक्ष महोदय ने पुनः डा. रघुवीर सिंह कादियान से कहा कि या तो वे इसके लिए माफी मांगें अन्यथा सदन से बाहर चले जाएं ।

उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी अध्यक्ष महोदय से कहा कि डा. रघुवीर सिंह कादियान का व्यवहार सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है और उन्होंने सदन में दूसरी बार ऐसा व्यवहार किया है इसलिए उन्होंने अध्यक्ष महोदय से इस बारे में उचित कार्यवाही करने के बारे में भी कहा । गृह मंत्री ने भी अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि उन्हें उनको सदन से बाहर जाने

के अपने आदेश का पालन करवाना चाहिए चाहे उसके लिए अध्यक्ष महोदय को मार्शल को ही क्यों न बुलवाना पड़े ।

इस विषय पर काफी देर तक चली चर्चा के पश्चात् श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि डा. रघुवीर सिंह कादियान अपने द्वारा कहे गए बूचड़खाना शब्द के लिए रिग्रेट करने के लिए तैयार हैं इसलिए उनको सदन से बाहर जाने के लिए न कहा जाए । इसके बाद डा. रघुवीर सिंह कादियान ने सदन में खड़े होकर रिग्रेट किया, तत्पश्चात् यह मामला यहीं समाप्त हो गया ।

9. स्वतंत्रता सेनानी का अभिनन्दन करना ।

संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी तथा सदन की ओर से अध्यक्ष महोदय के मामा श्री लाल चंद जी, स्वतंत्रता सेनानी, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

10. श्री भारत भूषण बतरा, विधायक द्वारा हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए दिनांक 25 अगस्त, 2023 के परिपत्र का मुद्दा उठाना ।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा ने हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा Clarification regarding holding of meetings by the MLAs at District Level (or with District Level Officers) के बारे दिनांक 25 अगस्त, 2023 को जारी परिपत्र का हवाला देते हुए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि इस तरह के परिपत्र से विधायक की गरिमा को ठेस पहुंची है इसलिए यह प्रिविलेज का मामला बनता है । उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 280 के तहत इस बारे में एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस भी दिया हुआ था । अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि यह मामला प्रिविलेज का नहीं बनता है । श्री भारत भूषण बतरा ने बताया कि इस परिपत्र के अनुसार तो कोई भी विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए ओफिसरज की मीटिंग ही नहीं बुला सकता है और न ही वह ओपन दरबार की अध्यक्षता कर सकता है । अगर ऐसा हुआ तो फिर वह जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करवाएगा । विधायक तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है और प्रोटोकाल में भी वह अधिकारियों से उपर होता है इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की कि इस बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए ।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए विधायक बेशक किसी भी अधिकारी को अपने घर न बुलाए लेकिन उसको यह अधिकार तो होना चाहिए कि वह अधिकारी को रैस्ट हाउस में बुलाकर अपने हल्के की जनता की समस्याओं के बारे में बात कर सके ।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस विषय में चल रही चर्चा में हस्ताक्षेप करते हुए स्थिति स्पष्ट की और कुछ देर तक चली चर्चा के पश्चात् उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि विधायक अपनी हल्के की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी के

पास उसके कार्यालय में जा सकता है या रैस्ट हाउस में किसी अधिकारी को बुलवा भी सकता है लेकिन वह अधिकारिक तौर पर अधिकारियों की मीटिंग नहीं बुला सकता है और न ही वह ओपन दरबार की अध्यक्षता कर सकता है क्योंकि सदस्यों के पास कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री राम कुमार गौतम ने भी उपरोक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि इस तरह का परिपत्र जारी करना एक तरह से विधायकों का अपमान है।

11. राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, चौटाला, जिला सिरसा के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना ।

अध्यक्ष महोदय ने अपनी तथा सदन की ओर से राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, चौटाला, जिला सिरसा के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

12. मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़ों की सूचना देना ।

मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया कि पी.एल.एफ.एस. की जुलाई-सितम्बर, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत की बेरोजगारी दर 6.6 परसेंट थी और हरियाणा की यह दर 5.2 परसेंट थी । इसी तरह से उन्होंने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान राज्यों की बेरोजगारी दर के आंकड़े भी सदन में प्रस्तुत किए ।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी इस बारे में विचार व्यक्त किए ।

13. शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना देना ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज श्रीमती सीमा त्रिखा, सर्वश्री सुरेन्द्र पंवार, लक्ष्मण सिंह यादव, प्रवीण डागर, संजय सिंह, शीशपाल सिंह, राम निवास, मोहन लाल बड़ोली, आफताब अहमद, प्रमोद कुमार विज, घनश्याम दास, मेवा सिंह, कुलदीप वत्स, सत्य प्रकाश जरावता, प्रदीप चौधरी, रणधीर सिंह गोलन, नीरज शर्मा, श्रीमती रेनू बाला, धर्म सिंह छोक्कर, जगबीर सिंह मलिक, श्रीमती किरण चौधरी, सुभाष सुधा, असीम गोयल, मोहम्मद इलियास, जोगी राम सिहाग, डा. कृष्ण लाल मिड्डा, जगदीश नायर, लक्ष्मण नापा, हरविन्द्र कल्याण, श्रीमती नैना सिंह चौटाला, अमरजीत ढांडा, रामकरण, श्रीमती शकुंतला खटक, राजेश नागर, सुधीर सिंगला, बिशम्बर सिंह, श्रीमती शैली चौधरी, अमित सिहाग, रामकुमार और घनश्याम सर्राफ, विधायकों को शून्य काल में बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

14. शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना ।

अध्यक्ष/सभापति महोदय ने सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात्, श्रीमती सीमा त्रिखा, सर्वश्री सुरेन्द्र पंवार,

लक्ष्मण सिंह यादव, प्रवीण डागर, संजय सिंह, शीशपाल सिंह, राम निवास और आफताब अहमद, विधायकों ने उन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाया।

15. बैठक का स्थगन।

सभापति महोदय ने घोषणा की कि दोपहर के भोजन अवकाश के लिए सदन एक घंटे के लिए स्थगित रहेगा।

तत्पश्चात् सदन मध्याह्न-पश्चात् 1:33 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याह्न-पश्चात् 2:33 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की।)

16. उप मुख्यमंत्री द्वारा कल दिनांक 18.12.2023 को जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से संबंधित मामले पर चर्चा के दौरान श्री भारत भूषण बतरा, विधायक द्वारा संविधान के आर्टिकल 105 को उद्धृत करने के संबंध में मामला उठाना।

उप मुख्यमंत्री महोदय ने जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से संबंधित मामले पर चर्चा के दौरान श्री भारत भूषण बतरा, विधायक द्वारा दिनांक 18.12.2023 को सदन में उद्धृत किए गए भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 का मामला उठाते हुए कहा कि उन्होंने जिस भी किताब से इस आर्टिकल का रैफरेंस दिया है उसमें शायद प्रिंटर या किताब की मिस्टेक है इसलिए उन्होंने श्री भारत भूषण बतरा को सुझाव दिया कि वे सदन के रिकार्ड में इसको ठीक करवा लें। श्री भारत भूषण बतरा ने कहा कि उन्होंने पहले ही इस बारे में अध्यक्ष महोदय को अपनी एप्लीकेशन देते हुए कहा है कि इसमें पब्लिशर की गलती है इसलिए इसको रिकार्ड में ठीक करवा दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस किताब से उन्होंने उसको पढ़ा था उसकी फोटो स्टेट कॉपीज भी एप्लीकेशन के साथ संलग्न कर दी है। उप मुख्यमंत्री महोदय ने उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि अगर किसी पब्लिशर ने हमारे संविधान को फेक्चुअली इनकरैक्ट प्रिंट किया है तो उसके खिलाफ भी हरियाणा विधान सभा सचिवालय की तरफ से कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएं।

17. शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना।

उपाध्यक्ष/अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात् सर्वश्री घनश्याम दास, मेवा सिंह, कुंलदीप वत्स, सत्य प्रकाश जरावता, प्रदीप चौधरी और रणधीर सिंह गोलन, विधायकों ने उन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाया।

18. पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, खुंगा कोठी, जिला जींद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन।

शून्य काल के दौरान उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, खुंगा कोठी, जिला जींद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

19. मुख्यमंत्री द्वारा टैक्स संबंधी शासन सुधार में हरियाणा को प्रथम पुरस्कार मिलने पर बधाई देना एवं जी.एस.टी. में पर कैपिटा कलैक्शन में हरियाणा के प्रथम स्थान पर आने के बारे में सूचना देना ।

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि टैक्स संबंधी शासन सुधार में हरियाणा को प्रथम पुरस्कार मिला है, इसके लिए उन्होंने सदस्यों को बधाई दी । उन्होंने जी.एस.टी. में पर कैपिटा कलैक्शन में हरियाणा के प्रथम स्थान पर आने के बारे में भी सदन को सूचना दी ।

20. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम “सभा की बैठकें” के उपबंधों से मुक्त किया जाए ।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

21. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

22. कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

अध्यक्ष महोदय ने कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की :-
समिति की बैठक मंगलवार दिनांक 19.12.2023 को दोपहर बाद 12:30 बजे अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई ।

“After the discussion, it was decided by all the Members present in the meeting of the Second Business Advisory Committee that the matter relating to Shri Kartar Singh, Principal which was discussed in the House on 15.12.2023 and 18.12.2023 may not be referred to the Hon’ble High Court for investigation by a sitting Judge.

The Committee further decided that a fact finding Committee under the Chairmanship of Hon’ble School Education Minister may be constituted by the Hon’ble Speaker to investigate the said matter relating to Shri Kartar Singh, Principal for the period from 2005 to 2023 of all incidents mentioned/ discussed in the House in its sittings on 15.12.2023 and 18.12.2023.”

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

23. कॉफी टेबल बुक का विमोचन करना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि हरियाणा की 14वीं विधान सभा के 4 वर्षों के दौरान हुए कार्यों को कॉफी टेबल बुक के माध्यम से प्रकाशित किया गया है जिसका आज विमोचन किया जा रहा है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री कंवर पाल, माननीय उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा से अनुरोध किया कि वे चेयर के नजदीक आकर कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। तत्पश्चात् इन सभी ने चेयर के नजदीक आकर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।

24. हरियाणा राज्य गीत के चयन के संबंध में सूचना देना।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि दिनांक 15.12.2023 को हरियाणा राज्य गीत के लिए सदन में तीनों गीतों के विकल्पों के कन्टैन्ट को रखा गया था और सुनाया भी गया था। उन्होंने सभी सदस्यों से निवेदन किया कि वे गीतों के इन तीनों विकल्पों में से अपनी पसंद अनुसार राज्य गीत के लिए प्राथमिकता के अनुसार अपना मत दें।

उन्होंने सभी माननीय सदस्यों को बताया कि सभी सदस्यों को एक विकल्प के मत के लिए एक फार्म दिया जाएगा। उस फार्म पर सदस्यगण गीतों के लिए अपनी प्राथमिकता दें।

उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा के दो अधिकारी श्री मुकेश गुप्ता, उप सचिव तथा श्री रविन्द्र सिंह, अधीक्षक, माननीय सदस्यों के मतों की गिनती करके उनको सूचित करेंगे कि सदस्यों के किस विकल्प के लिए सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं। उसके पश्चात् ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन सा विकल्प हरियाणा के राज्य गीत के रूप में चयनित किया जाए।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्रीमती किरण चौधरी, श्री नीरज शर्मा, श्री अमित सिहाग, श्री आफताब अहमद, मोहम्मद इलियास तथा श्री कुलदीप वत्स ने इस विषय पर अपनी बात रखी।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री बिशम्बर सिंह, श्री रामकुमार गौतम, श्री ईश्वर सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह यादव और श्री असीम गोयल ने इस विषय पर अपनी बात रखी।

उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय तथा कुछ अन्य सदस्यों ने अपनी बात रखते हुए हरियाणा राज्य गीत के चयन के लिए विधान सभा की एक कमेटी के गठन का सुझाव

दिया ताकि हरियाणा राज्य गीत के लिए सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् कमेटी अपनी रिपोर्ट एक महीने की समय सीमा के भीतर सबमिट कर सके।

25. अध्यक्ष महोदय द्वारा हरियाणा राज्य गीत के चयन के लिए कमेटी के गठन की घोषणा

अध्यक्ष महोदय ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तथा अन्य सदस्यों के सुझाव पर हरियाणा राज्य गीत के चयन के लिए एक 5 सदस्यीय विधान सभा की कमेटी का गठन करने की घोषणा की। उन्होंने इस कमेटी का चेयरपर्सन श्री लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक को, वाइस चेयरपर्सन श्री बिशम्बर सिंह, विधायक को और श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक, श्री नीरज शर्मा, विधायक तथा श्री जोगीराम सिहाग, विधायक को इस कमेटी के सदस्य बनाने की घोषणा की।

26. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य।

“जींद जिले में राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित”

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक से जींद जिले में राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 प्राप्त हुई जिसे उन्होंने आज के लिए स्वीकृत कर लिया है।

उन्होंने सदन को आगे सूचित किया कि उन्हें श्री बलराज कुण्डू, विधायक द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 22 प्राप्त हुई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री बलराज कुण्डू, विधायक भी चर्चा के समय अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

उन्होंने सदन को आगे सूचित किया कि उन्हें श्री भारत भूषण बतरा, विधायक तथा 3 अन्य विधायकों (श्रीमती गीता भुक्कल, श्री आफताब अहमद तथा श्री वरुण चौधरी) द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28 प्राप्त हुई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री भारत भूषण बतरा, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते तथा एक अन्य विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

उन्होंने सदन को आगे सूचित किया कि उन्हें श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 34 प्राप्त हुई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री नीरज शर्मा, विधायक भी चर्चा के समय अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

उन्होंने सदन को आगे सूचित किया कि उन्हें श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 62 प्राप्त हुई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ जोड़ दिया गया है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक भी चर्चा के समय अपना प्रश्न पूछ सकती हैं।

उन्होंने श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक से अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने के लिए कहा ।

श्री अभय सिंह चौटाला ने अपनी सूचना पढ़ने से पहले अध्यक्ष महोदय से कहा कि इस मामले पर दिनांक 15.12.2023 को चर्चा के दौरान सदन में यह फैसला हुआ था कि इसकी जांच हाई कोर्ट के सीटिंग जज से करवायी जाएगी । उन्होंने यह भी कहा कि कल भी इस विषय पर काफी देर विवाद हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने एवं अध्यक्ष महोदय ने भी बार बार हाई कोर्ट के सीटिंग जज से जांच करवाने की बात कहकर कहा था कि यह हाउस का फैसला है लेकिन सरकार अपने फैसले पर 24 घंटे भी नहीं रह पायी और अपना किया हुआ फैसला बदल दिया। अध्यक्ष महोदय ने उनसे कहा कि यह हाउस का फैसला था, इस पर श्री अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यह फैसला हाउस का नहीं बल्कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का है । उनका यह भी कहना था कि अध्यक्ष महोदय ने हाउस का निर्णय बदलकर हाउस का अपमान किया है । अध्यक्ष महोदय ने उनसे कहा कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को भी सदन में प्रस्तुत किया गया है और सदन ने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया है इसलिए यह फैसला भी सदन का ही है । श्री अभय सिंह चौटाला का यह भी कहना था कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी को हाउस का निर्णय बदलने के लिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हाउस का फैसला बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के फैसले से बड़ा होता है। अध्यक्ष महोदय ने उनसे कहा कि हाउस सुप्रीम है वह अपने फैसले को बदल सकता है या रिकंसीडर कर सकता है । उन्होंने पुनः श्री अभय चौटाला से अपनी सूचना पढ़ने के लिए कहा ।

तत्पश्चात श्री अभय चौटाला, विधायक ने अपनी सूचना पढ़ी और इसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया।

27. राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, नलवा, जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन ।

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने अपनी ओर से तथा सदन की ओर से राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, नलवा, जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

28. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र ।

संसदीय कार्य मंत्री ने नेवा पोर्टल के माध्यम से क्रम संख्या 1 से 35 कागज-पत्र सदन की मेज पर रखे ।

29. विधायी कार्य—

(प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2023

सायं 4.39 बजे मुख्यमंत्री ने हरियाणा विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2023 प्रस्तुत किया तथा यह भी प्रस्ताव किया—

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लोजिंग पर विचार किया गया।

क्लॉज 2, क्लॉज 3, शिड्यूल, क्लॉज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक-एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

2. हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2023

सायं 4.42 बजे मुख्यमंत्री ने हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2023 प्रस्तुत किया तथा यह भी प्रस्ताव किया—

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लोजिंग पर विचार किया गया।

क्लॉज 2, क्लॉज 3, शिड्यूल, क्लॉज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक-एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

30. मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा विभाग को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में द्वितीय पुरस्कार तथा हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर क्राईम एण्ड क्रिमिनलज ट्रेकिंग एण्ड नेटवर्क सिस्टम प्रणाली रैंकिंग में पहला स्थान मिलने के बारे में सूचना देना।

मुख्यमंत्री महोदय ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु द्वारा हरियाणा राज्य को 14.12.2023 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार मिलने के बारे में सदन को सूचना दी। इसके लिए उन्होंने ऊर्जा विभाग को बधाई दी।

इसके अलावा उन्होंने हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर क्राईम एण्ड क्रिमिनलज ट्रेकिंग एण्ड नेटवर्क सिस्टम प्रणाली रैंकिंग में पहला स्थान मिलने के बारे में भी सूचना दी। उन्होंने यह भी सूचना दी कि फरवरी माह में 99.99 अंकों के साथ हरियाणा पुलिस ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इसके लिए उन्होंने पुलिस विभाग को बधाई दी।

31. मुख्यमंत्री द्वारा शून्य काल में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का जवाब देना।

मुख्यमंत्री महोदय ने शून्य काल में दिनांक 18.12.2023 और आज दिनांक 19.12.2023 को सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का विस्तार से जवाब दिया।

32. मुख्यमंत्री द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव में हरियाणा राज्य को बैस्ट परफोर्मर स्टेट का अवार्ड मिलने के बारे में सूचना देना।

मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया कि शहीदों की याद में चलाये गये अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा हरियाणा राज्य को बैस्ट परफोर्मर स्टेट का अवार्ड दिया गया है।

उन्होंने सदन को यह भी सूचित किया कि रेलवे विद्युतीकरण का काम पूरा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है और साथ ही अब हरियाणा मे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का आंकड़ा भी कम हो गया है।

33. शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात्, सर्वश्री/श्रीमती नीरज शर्मा, रेनु बाला, जगबीर सिंह मलिक, किरण चौधरी, सुभाष सुधा, मोहम्मद इलियास, लक्ष्मण नापा, हरविन्द्र कल्याण, डा. कृष्ण लाल मिढडा, जगदीश नायर, नैना सिंह चौटाला, अमरजीत ढांडा, रामकरण, धर्म सिंह छोक्कर, शकुंतला खटक, राजेश नागर, सुधीर सिंगला, बिशम्बर सिंह, शैली चौधरी, घनश्याम सर्राफ, अमित सिहाग और रामकुमार विधायकों, ने उन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन में बताया कि शून्य काल में बोलने के लिए और भी कई सदस्यों के नाम आए थे उन्होंने इन बाकी बचे हुए सदस्यों के नाम भी बोलने के लिए पुकारे लेकिन ये सदस्य उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए ये शून्य काल में अपनी बात नहीं रख सके।

34. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप "सी" की सी.ई.टी. के आधार पर की जाने वाली भर्तियों से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा से स्टे हटाने के संबंध में सूचना देना।

शून्य काल के दौरान, मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप "सी" की सी.ई.टी. के आधार पर की जाने वाली भर्तियों से अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा से स्टे हटा दिया गया है। अब बाकी ग्रुप "सी" की सी.ई.टी. की भर्तियों की स्क्रीनिंग परीक्षा शुरू की जा सकेंगी। उन्होंने स्टे हटने पर माननीय सदस्यों को बधाई दी।

35. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नए आयुष्मान कार्ड बनाने के आंकड़ों के बारे में सदन को सूचना देना।

शून्य काल के दौरान, मुख्यमंत्री महोदय ने सूचना दी कि केन्द्र सरकार के एस.ई.सी.सी. डाटा के तहत अब तक प्रदेश में 29 लाख आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं जबकि प्रदेश की चिरायु योजना के तहत अब तक 71 लाख कार्ड बन चुके हैं। इसके अलावा आमदनी का क्राइटेरिया 1.80 हजार से 3 लाख करने के बाद बनी योजना के तहत 58 हजार कार्ड और बन चुके हैं। इस तरह से इसका टोटल आंकड़ा लगभग 1,00,48,464 पर पहुंच गया है। इसके लिए उन्होंने सदन के सदस्यों को बधाई भी दी।

36. श्री भारत भूषण बतरा तथा श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक द्वारा उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध दिए गए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के नोटिस का मामला उठाना।

श्री भारत भूषण बतरा तथा श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक ने उनके तथा उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध दिए गए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के नोटिस का मामला उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से इसका परिणाम जानना चाहा। अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि उनका यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस अस्वीकृत हो गया है। श्री भारत भूषण बतरा ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि इस बारे में उन्होंने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसिज लिखकर दिए हैं उन्हें जांच समिति के पास जरूर भेजा जाए। अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि यह सब जांच समिति ही देखेगी।

37. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा धन्यवाद तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद एवं क्रिसमस, नव वर्ष, लोहड़ी और मकर संक्रांति त्यौहार की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना।

सदन के अनिश्चित काल तक स्थगित होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने विधान सभा अध्यक्ष का, समस्त सदस्यगणों का सदन को सुचारु रूप से चलाने में अपना सहयोग देने के लिए आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए सदन के समस्त सदस्यगणों का उन्हें अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने वर्तमान सत्र के दौरान सभी प्रैस प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों तथा हरियाणा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी उन्हें अपना सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने सभी को क्रिसमस, नव वर्ष, लोहड़ी एवं मकर संक्रांति त्यौहार की भी बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी।

सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री मोहन लाल बड़ोली, विधायक ने मध्याह्न पश्चात 1.01 बजे से भोजनावकाश तक तथा उपाध्यक्ष महोदय ने भोजनावकाश के बाद मध्याह्न पश्चात 2.33 बजे से मध्याह्न पश्चात 3.00 बजे तक सदन की अध्यक्षता की

तब सभा अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई।

चण्डीगढ़
19 दिसम्बर, 2023.

सचिव।